ग्राम पंचायत, जमालपुर

बनाम

मलविन्दर सिंह और अन्य

(9 जुलाई, 1985)

(मुख्य न्यायमूर्ति वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति एस० मुर्तजा फजल अली, वी० डी० तुलजापुरकर, ओ० चिन्नप्पा रेड्डी और ए० वरदराजन)

संविधान, 1950—अनुच्छेद 254, 31, 31 क सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 18 और सूची 3 की प्रविष्टि 41 [सपठित निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 8(2) तथा पंजाब विलेज कामन लैंड्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1953 की धारा 3]— केन्द्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के बीच विरोध होने की स्थिति में सार और तत्व के सिद्धांत के लागू होने का प्रश्न— शामलातदेह भूमियों की बाबत 1950 के केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निष्क्रांती हित का अभिरक्षक में निहित किया जाना—बाद में ऐसी भूमि का 1953 के पंजाब अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायतों में निहित किया जाना— यदि भूमि राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत आती है और उसकी बाबत केन्द्रीय और राज्य अधिनियम हों तो सार और तत्व का सिद्धांत लागू करते हुए पंजाब राज्य में केन्द्रीय अधिनियम पर पंजाब अधिनियम अभिभावी होगा क्योंकि वह कृषि सुधार के रूप में होने के कारण समुदाय के कल्याण के लिए आशयित है।

संविधान, 1950—अनुच्छेद, 254(2) और 31-क—राष्ट्रपति की अनुमति की सीमायें राज्य अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखा जाना और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अनुमति अभिप्राप्त की जानी—यदि किसी राज्य अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की अनुमति किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त की जाती है तो उसकी क्षमता को उस प्रयोजन से परे विस्तारित नहीं किया जा सकेगा।

इस अपील में संविवाद उन गांवों में स्थित शामलातदेह भूमियों के ग्राम पंचायतों के अधिकार के बीच है जो उनके अधिकार-क्षेत्र के

अंतर्गत आते हैं और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास विभाग का उस वर्णन की भूमियों को उनमें निष्क्रांत हित के विस्तार तक उन व्यक्तियों को आबंटित करने से संबद्ध है जो देश के विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से भारत में प्रवासी हो गए थे। केन्द्रीय सरकार और उन व्यक्तियों जिन्हें उसके पुनर्वास विभाग ने उनके भारत में प्रवासी होने पर शामलातदेह भूमियां आबंटित की थीं, की दलील यह है कि ऐसी भूमियों में उन मुसलमानों का हित, जो पाकिस्तान में प्रवासी थे, निष्क्रांत संपत्ति है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन आबंटित करने का अधिकार है। दूसरी ओर, पंजाब सरकार और पंजाब और हरियाणा की ग्राम पंचायतों की दलील यह है कि पंजाब विलेज कामन लैण्ड्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1953 के उपबन्धों के कारण उन सभी व्यक्तियों का हित, भले ही वे हिन्दू, सिक्ख या मुसलमान हों, शामलातदेह भूमियों में निर्वापित हो गया था और वे भूमियां उक्त अधिनियम द्वारा अलग-अलग ग्राम पंचायतों के नियन्त्रण और शक्ति के अधीन रखी गई थीं। संसद् द्वारा पारित निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 8(2) के उपबंधों के परिणामस्वरूप उन सभी निष्क्रांतियों का हित, जो कि 1947 के ईस्ट पंजाब इवेक्युइज (एडमिनिस्ट्रेशन आफ प्रापर्टी) ऐक्ट के अधीन अभिरक्षक में निहित हो गया था, 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियुक्त अभिरक्षक में निहित हो गया है। उन गांवों में, जिनमें कि पूर्णतः मुसलमान बसे हुए थे और जिनसे लगभग संपूर्ण जनसंख्या पाकिस्तान में प्रवासी हो गई थी, सभी शामलातदेह भूमियां उनकी अन्य सांपत्तिक भूमियों सहित निष्क्रांत संपत्ति घोषित की गई थी और अभिरक्षक में निहित हो गई थीं। उन गांवों में, जिनमें मुसलमान और गैर-मुसलमान दोनों रहते थे, मुसलमान निष्क्रांतियों के सांपत्तिक जोत अभिरक्षक में निहित हो गए थे और उसके साथ शामलातदेह भूमियों में स्वत्वधारियों का हित उस रूप में भी अभिरक्षक में निहित हो गया था। मुद्दा जो विचारार्थ उद्भूत हुआ है और जिसका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सकारात्मक उत्तर दिया गया है, वह यह है कि क्या 1950 के केन्द्रीय अधिनियम और 1953 के पंजाब ऐक्ट के उपबंधों के बीच कोई विरोध है। अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—चूंकि शामलातदेह भूमियों में निष्क्रांतियों का हित निष्क्रांत संपत्ति के रूप में घोषित किया गया माना गया था, इसलिए सातवीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 41 के कारण उस हित की बाबत राज्य विधानमण्डल और केन्द्रीय विधानमण्डल दोनों की शक्ति थी। संविधान का

1985(7) eILR(PAT) SC 1

अनुच्छेद 254 ऐसी स्थितियों के बारे में है जहां संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधियों के बीच असंगतता है। चूंकि पंजाब राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि, अर्थात् 1953 के पंजाब ऐक्ट की धारा 3 संसद् द्वारा बनाई गई विधि के विरोध में है, जिसे संसद् को अधिनियमित करने की समता थी, अर्थात् 1950 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2), इसलिए संसद् द्वारा बनाई गई विधि अनिवार्यतः अभिभावी होनी चाहिए और पंजाब विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि विरोध के विस्तार तक शून्य अभिनिर्धारित की जानी चाहिए। यह विरोध इस विस्तार तक है कि जबकि केन्द्रीय अधिनियम के अधीन सभी सम्पत्तियों में, जिनमें शामलातदेह भूमियां सम्मिलित हैं, निष्क्रांतियों का हित उस अधिनियम के अधीन नियुक्त या नियुक्त किए गए समझे गए अभिरक्षक में निहित होता है, तो शामलातदेह भूमियां राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन पंचायतों में निहित हो जाती हैं। (पैरा 9)

1950 का केन्द्रीय अधिनियम, 1953 के पंजाब ऐक्ट पर अभिभावी होगा चूंकि दोनों अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 41 से सम्बद्ध हैं और शामलातदेह भूमियों में निष्क्रांत हित के निहित होने के मामले में एक दूसरे के विरोध में हैं। किंतु इस प्रश्न का एक अन्य पहलू है जिस पर विचार किए बिना दो अधिनियमों के बीच प्रतियोगी पूर्विकताओं के प्रश्न को अवधारित नहीं किया जा सकता। (पैरा 11)

1953 के पंजाब ऐक्ट को 26 दिसम्बर, 1953 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। प्रथमदृष्ट्या, राष्ट्रपति की अनुमति के कारण पंजाब अधिनियम संसद् के अधिनियम पर पंजाब राज्य में अभिभावी होगा और पंचायतें शामलातदेह भूमियों के बारे में मामले को शासित करने वाले सुसंगत नियमों या उपविधियों के अनुसार कार्रवाई करने में स्वतन्त्र होगी जिसमें उनमें निष्क्रांती हित सम्मलित होगा। किंतु इस तथ्य की बारीकी से उद्भूत कुछ जटिलता है कि पंजाब अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित था यद्यपि वह संविधान के अनुच्छेद 31 और 31-क के विनिर्दिष्ट और सीमित प्रयोजन के लिए था। अनुच्छेद 31, जिसका संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा लोप किया गया था, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबन्ध करता है। उस अनुच्छेद के खण्ड (3) में यह उपबन्ध किया गया है कि खण्ड (2) में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई कोई विधि उस समय तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ऐसी विधि जो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी गई है, उसकी

अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती है। अनुच्छेद 31-क उस अनुच्छेद के खण्ड (क) से (ङ) के अन्तर्गत आने वाली विधियों को संरक्षण प्रदत्त करता है बशर्ते कि ऐसी विधि यदि राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई जाती है, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेती है। अनुच्छेद 31-क के खण्ड (क) में कृषि सुधार की विधियां सम्मिलित हैं। चूंकि 1953 का पंजाब अधिनियम शामलातदेह भूमियों में सभी प्राइवेट हितों को निर्वापित करता है और उन भूमियों को ग्राम पंचायतों में निहित करता है और चूंकि वह अधिनियम कृषि सुधार के उपाय रूप में था, इसलिए इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया था। इस बारे में कोई विवाद नहीं किया गया था कि इस आधार पर अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित नहीं रखा गया था कि यह संसद् द्वारा पारित पूर्ववर्ती अधिनियम के विरोध में था। 1953 का पंजाब ऐक्ट संविधान के अनुच्छेद 254 के खण्ड (2) के अर्थान्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखे गए रूप में नहीं कहा जा सकता जहां तक इसके 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के साथ विरोध का सम्बन्ध है। संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति एक कोरी औपचारिकता नहीं है। राष्ट्रपति को कम से कम इस बारे में अवगत कराया जाये कि उसकी अनुमति क्यों ईप्सित की गई है यदि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण है। यदि अनुमति सामान्य निबन्धनों के रूप में ईप्सित की जाती है और दी जाती है, तो क्या वह सभी प्रयोजनों के लिए प्रभावकारी होगी, इसके लिए भिन्न विधिसम्मत विचार उद्भूत हो सकते हैं। किन्तु यदि राष्ट्रपति की अनुमति एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विधि हेतु ईप्सित की जाती है, तो अनुमति की यथार्थता उस प्रयोजन के लिए ही सीमित होगी और उससे परे इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत मामले में राष्ट्रपति को न केवल इस बारे में अवगत कराया गया था कि उसकी अनुमति राज्य अधिनियम और पूर्व विद्यमान केन्द्रीय अधिनियम निष्क्रांत संपत्तियों के निहित होने के बारे में दोनों में विरोध था किन्तु उनकी अनुमति एक भिन्न बिल्कुल ही विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ईप्सित की गई थी। अतः वह अनुमति राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि को अधिमान प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं हो सकती, अर्थात् 1953 का पंजाब अधिनियम संसद् द्वारा बनाई गई विधि पर लागू नहीं हो सकता भले ही राज्य की अधिकारिता के अधीन हो। (पैरा 12)

1950 का केन्द्रीय अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 41 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 254(1) के द्वारा 1953 के पंजाब ऐक्ट पर अभिभावी होता है और अनुच्छेद 254(2) उस स्थिति को उलटने के लिए

कोई सहायता नहीं कर सकता चूंकि राष्ट्रपति की अनुमति जो कि एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त की गई थी, का पंजाब अधिनियम को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। यद्यपि संसद् द्वारा बनाई गई विधि राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि पर अभिभावी है, इसलिए शामलातदेह भूमियों में निष्क्रांतियों का हित केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अभिरक्षक द्वारा प्रभावकारी रूप से नहीं निपटाया जा सकता क्योंकि ऐसी भूमियों की विशिष्ट घटनाएं और विशेषताएं हैं। इसका यह दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है कि शामलातदेह भूमियों में निष्क्रांती हित का अभिरक्षक में निहित होना, न्यूनाधिक एक कोरी औपचारिकता है। यह केन्द्रीय विधि के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अभिरक्षक की कोई सहायता नहीं करता किन्तु यह राज्य विधि के प्रवर्तन का अपवर्जन करता है। (पैरा 13)

सारत: स्थिति यह है कि संसद् ने ऐसे मामले पर विधि पारित की है जो कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 41 के अन्तर्गत आता है, जबकि राज्य विधानमण्डल ने ऐसी विधि पारित की है जो राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 18 के अन्तर्गत आती है। राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधि कृषि सुधार के रूप में होने के कारण समुदाय के कल्याण के लिए है और इस बारे में कोई कारण नहीं है कि विधि को पूर्णत: प्रभावी होना चाहिए। इस प्रक्रिया द्वारा ग्राम पंचायतें ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी और उससे उनका कल्याण होगा। तद्नुसार 1953 का पंजाब ऐक्ट 1950 के केन्द्रीय अधिनियम पर पंजाब राज्य में अभिभावी होगा, जहां तक शामलातदेह भूमि का भी सम्बन्ध है। (पैरा 14)

इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की एक सांविधानिक न्यायपीठ की प्राधिकृत यह घोषणा है कि पंजाब ऐक्ट जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा गया था और जिसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, कृषि सुधार से सम्बद्ध विधि है और इसलिए इस आधार पर अनुच्छेद 31-क के अधीन उसे चुनौती नहीं दी जा सकती कि विधि उस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों में से किसी का अतिलंघन करती है। निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम का प्रभाव शामलातदेह के स्वरूप को शामलातदेह के रूप में नहीं देना था किन्तु ऐसे हित को अभिरक्षक में केवल निहित करना था जिसे शामलातदेह में निष्क्रांती रखता था। वह हित जिसे शामलातदेह में भूतपूर्व निष्क्रांती रखता था, न तो वृहत्त था और न ही संक्षिप्त। भूमि शामलातदेह बनी रही थी और वह शामलातदेह के रूप में राज्य विधान की सक्षमता के अध्यधीन थी। यदि कृषि सुधार के प्रयोजन के लिए राज्य विधानमण्डल ने

विधि अधिनियमित की थी क्योंकि वह ऐसा करने के लिए सक्षम था और जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 31-क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दी गई थी, तो इस तर्क के लिए कोई औचित्य नहीं है कि पंजाब ऐक्ट और केन्द्रीय अधिनियम के बीच कोई विरोध था। इसको स्पष्ट करने के लिए यह सुझाव देना बिल्कुल गलत होगा कि मुसलमान जमींदार (मध्यवर्ती) के पाकिस्तान में प्रवासी होने के कारण गांव की रय्यती भूमि में जमींदारी अभिरक्षक में निहित हो गई थी और इसका स्वरूप बदला गया था और भूमि में रय्यत का अधिकार मात्र इस कारण समाप्त हो गया था क्योंकि जमींदार पाकिस्तान में प्रवासी हो गए थे और जमींदारी अभिरक्षक में निहित हो गई थी। इसी प्रकार से भूतपूर्व जमींदारी की भूमि चारागाह के लिए चारागाह के रूप में अपना स्वरूप समाप्त नहीं करती थी और जमींदारों के पाकिस्तान में प्रवासी होने पर उसका स्वरूप भी नहीं बदला था। जब संसद् और राज्य विधानमण्डल में से प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर विधान बनाते हैं, इस मामले में निष्क्रांत संपत्ति और शामलातदेह, तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई कारण नहीं है कि दो विधानों में कोई विरोध था। प्रस्तुत मामले में यह प्रश्न नहीं है कि क्या केन्द्रीय और राज्य विधानों के बीच कोई विरोध था किन्तु यह प्रश्न कि क्या राज्य का विधानमण्डल उस संपत्ति की बाबत जिसमें वह संपत्ति सम्मिलित है, जो विधि की प्रक्रिया द्वारा केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक में निहित हो गई है, कृषि सुधार सम्बन्धी विधि बना सकता है। इस बारे में कोई कारण नहीं है कि राज्य विधानमण्डल को कृषि सुधार से संबद्ध विधि बनाने के लिए क्यों असक्षम समझा जाना चाहिए। यदि वास्तव में यह कृषि सुधार से सम्बद्ध विधि है तो भी केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक में निहित भूमि को प्रभावित करती है। (पैरा 28)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1965] [1965] 1 एस० सी० आर० 82 :

रंजीत सिंह बनाम **पंजाब राज्य** 14,27

[1955] [1955] 2 एस० सी० आर० 1117:

इन्दिरा सोहनलाल बनाम **कस्टोडियन आफ इवेक्यु प्रापर्टी**; 24

आई० एल० आर० (13) लाहौर 92 :

मलिक मौहम्मद शेर खां बनाम **गुलाम मौहम्मद**; 22

1985(7) eILR(PAT) SC 1

आई० एल० आर० (9) लाहौर 501 :

रहमान बनाम सई 3,22

सिविल अपीली अधिकारिता : 1973 की सिविल अपील सं० 1401 (एन).

1970 के सिविल रिट सं० 2657 में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 15 मई, 1973 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील।

अपीलार्थी सं० 1 की ओर से	सर्वश्री एस० एल० अनेजा और के० एल० तनेजा
अपीलार्थी सं० 2 की ओर से	सर्वश्री हरदेव सिंह और आर० एस० सोढी
प्रत्यर्थी सं० 2 की ओर से	सर्वश्री एन० सी० तालुकदार, सी० वी० सुब्बा राव और आर० एन० पोद्दार तथा कुमारी ए० सुभाषिणी
प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से	सर्वश्री एस० राम सिंह विन्द्रा और हरबंस सिंह

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति वाई० वी० चन्द्रचूड़ ने दिया।

मुख्य न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़—

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आठ रिट याचिकाएं फाइल की गई थीं जिनमें निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 और पंजाब विलेज कामन लैण्ड्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1953 (जिसे इसमें '1953 का पंजाब ऐक्ट' कहा गया है) के बीच अभिकथित विरोध के रूप में विधि का एक सामान्य प्रश्न अन्तर्वलित था। आठ रिट याचिकाओं में से चार हरियाणा राज्य में स्थित भूमियों से सम्बद्ध हैं जबकि शेष चार पंजाब राज्य में स्थित भूमियों से सम्बद्ध हैं।

2. रिट याचिकाओं में संविवाद उन गावों में स्थित शामलातदेह भूमियों के लिए ग्राम पंचायतों के अधिकार के बीच है जो उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास विभाग का उस वर्णन की भूमियों को उनमें निष्क्रान्त हित के विस्तार तक उन व्यक्तियों को आबंटित करने से संबद्ध है जो देश के विभाजन के पश्चात्

पाकिस्तान से भारत में प्रवासी हो गए थे । केन्द्रीय सरकार और उन व्यक्तियों, जिन्हें उसके पुनर्वास विभाग ने उनके भारत में प्रवासी होने पर शामलातदेह भूमियां आबंटित की थीं, की दलील यह है कि ऐसी भूमियों में उन मुसलमानों का हित, जो पाकिस्तान में प्रवासी थे, निष्क्रान्त संपत्ति है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन आबंटित करने का अधिकार है । दूसरी ओर, पंजाब सरकार और पंजाब और हरियाणा की ग्राम पंचायतों की दलील यह है कि 1953 के पंजाब ऐक्ट के उपबंधों के कारण उन सभी व्यक्तियों का हित, भले ही वे हिन्दू, सिक्ख या मुसलमान हों, शामलातदेह भूमियों में निर्वापित हो गया था और वे भूमियां उक्त अधिनियम द्वारा अलग-अलग ग्राम पंचायतों के नियंत्रण और शक्ति के अधीन रखी गई थीं ।

3. 15 अगस्त, 1947 को भारत के विभाजन से पूर्व पंजाब में शामलातदेह भूमियां "हसब रसद खेवट" गांव में अन्य भूमियों के स्वत्वधारियों के स्वामित्व में थीं अर्थात् उसी अनुपात में थीं जिसमें वे अन्य भूमियों के स्वामी थे । अतः ऐसा व्यक्ति जिसके पास गांव में कोई अन्य भूमि नहीं थी, शामलातदेह भूमियों में कोई साम्पत्तिक अधिकार या हित नहीं रख सकता था । किन्तु शामलातदेह भूमियों में अन्य भूमियों के स्वत्वधारियों का हित, यद्यपि उन अन्य भूमियों में उनके साम्पत्तिक हित का आनुषंगिक था, शामलात भूमियों में ऐसा हित अन्य भूमियों में उनके हित का एकमात्र संलग्नक नहीं था । हमारे विद्वान् बंधु चिन्नप्पा रेड्डी ने लाहौर उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण विनिश्चय रहमान बनाम सई[1] वाले मामले को अपने उस निर्णय में निर्दिष्ट किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई स्वत्वधारी अपनी भूमि का अन्यसंक्रामण करता है, तो अन्यसंक्रान्ती अन्यसंक्रामण के एकमात्र कारण द्वारा शामलात भूमि में कोई हित अर्जित नहीं करेगा । वह पंजाब में सुस्थापित विधिक स्थिति का यह परिणाम था कि शामलातदेह भूमियां सभी अंशधारियों के सामान्य प्रयोग के लिए आशयित थीं ।

4. पंजाब में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें अधिकांशतः मुसलमान थे जिसका परिणाम यह था कि उन गावों में लगभग सभी भूमियां उन मुसलमान स्वत्वधारियों द्वारा धारित थीं जो उन भूमियों में अपने साम्पत्तिक हित के परिणामस्वरूप शामलातदेह भूमियों में समानुपात में अविभक्त अंश रखते थे ।

---

[1] आई० एल० आर० (9) लाहौर 501.

1985(7) eILR(PAT) S

उनका शामलातदेह भूमियों में केवल एक अविभक्त अंश था क्योंकि ऐसी भूमियों का विभाजन नहीं हो सकता था इसलिए उन्हें अन्यसंक्रान्त नहीं किया जा सकता था और वे बिना किसी अपवाद के अन्य भूमियों के स्वत्वधारियों की अविभक्त संपत्ति के रूप में प्रयुक्त की जानी आशयित थीं और वास्तव में उनका प्रयोग किया गया था। वस्तुतः हमारे विद्वान् बंधु ने रेटिगन के 'डाइजेस्ट आफ दि कस्टमरी ला इन दि पंजाब' से एक पैरा उद्धृत किया है जिससे यह दर्शित होता है कि शामलातदेह भूमियां सामान्य गांव के प्रयोजनों के लिए आरक्षित रूप में समझी जाती थीं। पंजाब में कुछ गांव और हरियाणा में अनेक गावों में आंशिक रूप से मुसलमान और आंशिक रूप से गैर-मुसलमान लोग रहते थे। अधिकांश मुसलमान स्वत्वधारी पाकिस्तान में प्रवासी हो गए थे जबकि गैर-मुसलमान अपने गांव में रहते रहे थे।

5. मुसलमान निष्क्रान्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के प्रबन्ध और परिरक्षण की बाबत प्रश्न से ईस्ट पंजाब इवेक्युइज (एडमिनिस्ट्रेशन आफ प्रापर्टी) ऐक्ट, 1947 (1947 का 14) पारित किया गया। वह पंजाब विधानमण्डल का एक अधिनियम था जिसकी धारा 4 में यह उपबंध किया गया था कि निष्क्रान्तियों की जंगम या स्थावर सपत्ति में सभी हित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक में निहित हो गए थे। वह अधिनियम अन्य राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित ऐसे ही अधिनियमों की तरह निरसित किया गया था और संसद् द्वारा पारित एक अन्य अधिनियम द्वारा बदला गया था अर्थात्, निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950, जिसे हम 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट करेंगे। वह अधिनियम 17 अप्रैल, 1950 को प्रवृत्त हुआ। उसकी धारा 8(2) में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले कोई संपत्ति राज्य में अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि के अधीन किसी अभिरक्षक में निष्क्रान्त संपत्ति के रूप में निहित हो गई थी, तो वह संपत्ति अधिनियम के प्रारंभ होने पर निष्क्रान्त संपत्ति समझी जाएगी और अधिनियम के अधीन राज्य के लिए नियुक्त अभिरक्षक में निहित होगी। इस उपबन्ध के परिणामस्वरूप उन सभी निष्क्रान्तियों का हित, जो कि 1947 के पंजाब ऐक्ट 14 के अधीन अभिरक्षक में निहित हो गया था, 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियुक्त अभिरक्षक में निहित हो गया है। उन गांवों में जिनमें कि पूर्णतः मुसलमान बसे हुए थे और जिनसे लगभग संपूर्ण जनसंख्या पाकिस्तान में प्रवासी हो गई थी, सभी शामलातदेह भूमियां उनकी अन्य सांपत्तिक भूमियों सहित निष्क्रान्त संपत्ति घोषित की गई थीं और अभिरक्षक में निहित हो गई थीं। उन गावों में जिनमें मुसलमान

और गैर-मुसलमान दोनों रहते थे, मुसलमान निष्क्रान्तियों के साम्पत्तिक जोत अभिरक्षक में निहित हो गए थे और उसके साथ शामलातदेह भूमियों में स्वत्वधारियों का हित उस रूप में भी अभिरक्षक में निहित हो गया था।

6. मुद्दा जो विचारार्थ उद्भूत हुआ है और जिसका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सकारात्मक उत्तर दिया गया है, वह यह है कि क्या 1950 के केन्द्रीय अधिनियम और 1953 के पंजाब ऐक्ट के उपबन्धों के बीच कोई विरोध है। (उच्च न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती अधिनियम को 1954 के ऐक्ट के रूप में निर्देशित किया गया है क्योंकि यद्यपि यह 1953 में पारित किया गया था, इसका संख्यांक 1954 के ऐक्ट 1 के रूप में किया गया है)। पंजाब ऐक्ट की धारा 3, जो कि विरोध का मुख्य मुद्दा कही गई है, जहां तक सुसंगत है, इस प्रकार है—

*"3. **पंचायतों और गैर-स्वत्वधारियों में अधिकारों का निहित होना :**

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी···सभी अधिकार, हक और हित ऐसी भूमि में जो भी हो—

(क) जो किसी गांव की शामलातदेह में सम्मिलित की गई है, नियत तारीख को गांव पर अधिकारिता रखने वाली पंचायत में निहित होंगे।"

7. 1950 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) इस प्रकार है—

"जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व किसी राज्य की कोई सम्पत्ति, किसी ऐसे व्यक्ति में, जो इसके द्वारा निरसित किसी

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"3. Vesting of rights in Panchayats and in non-proprietors :

Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force...all rights, title and interest whatsoever in the land—

(a) which is included in shamlat-deh of any village, shall, on the appointed date, vest in a Panchayat having jurisdiction over the village."

ऐसी विधि के अधीन, अभिरक्षक की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित हो गई है वहां इस अधिनियम के प्रारम्भ पर ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अर्थ में निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित समझी जाएगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन राज्य के लिए नियुक्त अभिरक्षक में या नियुक्त समझे गए अभिरक्षक में निहित समझी जाएगी और इस प्रकार निहित बनी रहेगी।"

8. दो धाराओं अर्थात्, 1953 के पंजाब ऐक्ट की धारा 3 और 1950 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) के मात्र पठन से यह दर्शित होता है कि दो उपबंधों में सीधा विरोध है। ईस्ट पंजाब इवेक्युइज (एडमिनिस्ट्रेशन आफ प्रापर्टी) ऐक्ट, 1947 (1947 का 14) जो 13 दिसम्बर, 1949 को प्रवृत्त हुआ, की धारा 4 के अधीन निष्क्रांतियों की जंगम या स्थावर सम्पत्ति में सभी हित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक में निहित हो गए हैं। 1947 के ईस्ट पंजाब ऐक्ट 14 का 1950 के केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसन किया गया था। 1950 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) के अधीन, निष्क्रांत सम्पत्ति जो कि निरसित अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक में निहित हो गई थी, केन्द्रीय अधिनियम के अधीन इस रूप में घोषित की गई निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में समझी गई थी और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियुक्त अभिरक्षक में निहित हो गई थी। उसके पश्चात् 1953 का पंजाब ऐक्ट आया जिसके अधीन "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी," सभी अधिकार, हक और हित, भूमि में जो भी हो, जो किसी गांव की शामलातदेह भूमियों में सम्मिलित की गई है, नियत तारीख को गांव पर अधिकारिता रखने वाली पंचायत में निहित होंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस उपबंध के परिणामस्वरूप 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियुक्त अभिरक्षक को शामलातदेह भूमियों से उनमें उन मुसलमान स्वत्वधारियों के हितों के विस्तार तक, जो पाकिस्तान में प्रवासी हो गए थे, निर्निहित किया गया था। यदि पंजाब विधानमण्डल ने पारित 1953 का अधिनियम नहीं किया था, तो 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया या नियुक्त किए गए रूप में समझा गया अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में शामलातदेह भूमियों में मुसलमान निष्क्रांतियों के हित का निपटारा कर सकता था, यद्यपि वह उन परिसीमाओं के साथ कर सकता था जो उस हित को संचालित करती

थीं । उसने उस शक्ति को समपहृत किया क्योंकि 1953 के पंजाब ऐक्ट ने उन सभी व्यक्तियों के शामलातदेह भूमियों में हितों को चाहे वे हिन्दू, सिक्ख या मुसलमान हों, निर्वापित कर दिया था और ऐसी भूमियों में सभी अधिकारों, हकों और हितों को अलग-अलग पंचायत, जिनकी गांव पर अधिकारिता थी, में निहित कर दिया था । यह उल्लेखनीय है कि 1953 का पंजाब ऐक्ट निरसित किया गया था और 1961 के अधिनियम द्वारा ऐसे ही समान शीर्षक वाले अधिनियम द्वारा बदला गया था । वह अधिनियम शामलातदेह भूमियों को थोड़ी-सी भिन्न रीति में परिभाषित करता है किन्तु हमारे समक्ष उद्भूत संविवाद को सुलझाने में उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

9. यह देखने के पश्चात् कि 1950 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) और 1953 के पंजाब ऐक्ट की धारा 3 के बीच निष्क्रांत संपत्ति के निहित करने के प्रश्न पर सीधा विरोध है, प्रश्न जो उद्भूत होता है, वह यह है कि इन दो अधिनियमों में से कौन-सा अधिनियम अभिभावी होगा । उस प्रश्न का उत्तर संविधान के उपबंधों के प्रकाश में दिया जाना है । संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 (समवर्ती सूची) में प्रविष्टि 41 इस प्रकार है—

> "ऐसी सम्पत्ति की (जिसके अन्तर्गत कृषि भूमि है) अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन, जो विधि द्वारा निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित की जाए ।"

चूंकि शामलातदेह भूमियों में निष्क्रांतियों का हित निष्क्रांत संपत्ति के रूप में घोषित किया गया माना गया था, इसलिए प्रविष्टि 41 के कारण उस हित की बाबत राज्य विधानमण्डल और केन्द्रीय विधानमण्डल दोनों को शक्ति थी । संविधान का अनुच्छेद 254 ऐसी स्थितियों के बारे में है जहां संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधियों के बीच असंगतता है । उस अनुच्छेद का खण्ड (1) उस विस्तार तक, जहां तक वह सुसंगत है, इस प्रकार है—

> "(1) यदि किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद् द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद् सक्षम है,—तो खण्ड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के पहले या बाद में पारित की गई हो, अभिभावी होगी और उस राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी ।"

चूंकि पंजाब राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि, अर्थात् 1953 के पंजाब ऐक्ट की धारा 3 संसद् द्वारा बनाई गई विधि के विरोध में है, जिसे संसद् को अधिनियमित करने की सक्षमता थी, अर्थात् 1950 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2), इसलिए संसद् द्वारा बनाई गई विधि अनिवार्यतः अभिभावी होनी चाहिए और पंजाब विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि विरोध के विस्तार तक शून्य अभिनिर्धारित की जानी चाहिए। यह विरोध इस विस्तार तक है कि जबकि केन्द्रीय अधिनियम के अधीन सभी संपत्तियों, जिनमें शामलातदेह भूमियां सम्मिलित हैं, में निष्क्रांतियों का हित उस अधिनियम के अधीन नियुक्त या नियुक्त किए गए समझे गए अभिरक्षक में निहित होता है, तो शामलातदेह भूमियां राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन पंचायतों में निहित हो जाती हैं।

10. इस विरोध के परिणाम स्वतः स्पष्ट हैं। 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के अधीन ऐसी सभी निष्क्रांत सम्पत्तियों में निष्क्रांतियों के हितों को परिरक्षित और उसका प्रबंध करने के लिए अभिरक्षक हकदार है जिसमें शामलातदेह भूमियां सम्मिलित होंगी। 1953 के पंजाब ऐक्ट के अधीन शामलातदेह भूमियां उन पंचायतों में निहित हैं जिनके पास ऐसी भूमियों के परिरक्षण और प्रबंध का अधिकार है। संक्षेप में, राज्य अधिनियम के कारण 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियुक्त अभिरक्षक शामलातदेह भूमियों में निष्क्रांत हित पर अपने नियंत्रण से निर्निहित है। इस निर्निहिती का अत्यधिक महत्व, यद्यपि एक शैक्षणिक प्रकृति का है, वह यह है कि केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास विभाग ने ऐसी भूमियों के आबंटन के लिए अपनी शक्ति उनमें निष्क्रांत हित के विस्तार तक विस्थापित व्यक्तियों के लिए खो दी है ताकि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन अपने दावों की तुष्टि के लिए ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के बारे में समाप्त हो गई है। अतः ऐसी सम्पत्तियां प्रतिकर समुच्चय का भाग नहीं बन सकतीं और न ही ये सम्पत्तियां विस्थापित व्यक्तियों को आबंटन के पश्चात् शेष अधिशेष के विस्तार तक 1961 के समझौते के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अंतरित की जा सकती हैं। हमने यह कहा है कि विरोध का प्रभाव एक शैक्षणिक प्रकृति वाला है क्योंकि जो कुछ अभिरक्षक में निहित है वह निष्क्रांती का हित है अर्थात् ऐसी सभी घटनाओं के साथ, जिसके अध्यधीन निष्क्रांत हित था। वह हित उन घटनाओं से मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में अभिरक्षक में निहित हो गया है। अभिरक्षक उसे प्राप्त करता है जो मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से निष्क्रांती

का हित था। यदि शामलात में निष्क्रांती का हित अन्यसंक्रामण में असक्षम था और यदि शामलातदेह भूमियां गांव वालों के सामान्य प्रयोग के लिए आरक्षित रूप में समझी गई थीं, तो अभिरक्षक को उन विस्थापित व्यक्तियों के पृथक् या अनन्य प्रयोग के लिए उन्हें आबंटित करने का कोई अधिकार नहीं होगा जो देश के विभाजन के पश्चात् भारत में प्रवासी हुए थे। यदि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन अभिरक्षक द्वारा कोई आबंटन नहीं किया जा सकता था, तो किसी अधिशेष भूमि का प्रश्न नहीं होगा और परिणामतः 1961 के समझौते के अधीन राज्य सरकार को अधिशेष भूमि के अतरण का कोई अवसर नहीं होगा। शामलातदेह भूमियों में सह-अंशधारियों के हित की विशेष घटना और उस हित को संचालित करने वाली कठिन परिसीमाओं ने 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों को वास्तविक रूप से अप्रभावी और अप्रवर्तनशील बना दिया। उस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक शामलातदेह भूमियों में निष्क्रांतियों के हित के हक को प्राप्त करेगा और उसमें उस हित के निहित होने का परिणाम होगा किन्तु ऐसे निहित होने से परे वह व्यवहार में शक्तिहीन होगा और ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को उन भूमियों के वितरण के लिए वह शक्तिहीन होगा। शामलातदेह भूमियों का महत्व उनकी अविभाज्यता और अन्यसंक्रामणता है।[1]

11. यदि अनुच्छेद 254(1) को देखा जाए, तो यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि जिसके लिए यह योग्य है, 1950 का केन्द्रीय अधिनियम 1953 के पंजाब ऐक्ट पर अभिभावी होगा चूंकि दोनों अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 41 से संबद्ध हैं और शामलातदेह भूमियों में निष्क्रांत हित के निहित होने के मामले में एक दूसरे के विरोध में हैं। किन्तु इस प्रश्न का एक अन्य पहलू है जिस पर विचार किए बिना दो अधिनियमों के बीच प्रतियोगी पूर्विकताओं के प्रश्न को अवधारित नहीं किया जा सकता। यह देखा गया है कि अनुच्छेद 254 के खण्ड (1) में अन्तर्विष्ट उपबंध "उस अनुच्छेद के खण्ड (2) के उपबंधों के अध्यधीन" हैं। खण्ड (2) इस प्रकार है—

> "(2). जहां राज्य के विधानमण्डल द्वारा समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अन्तर्विष्ट है जो संसद् द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है

[1] रेटिगन्स 'डाइजेस्ट' देखिए जिसका हमारे विद्वान बंधु चिन्नप्पा रेड्डी ने काफी निर्देश किया है।

1985(7) eILR(PAT) SC 1

तो ऐसे राज्य के विधानमण्डल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि, यदि उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो, उस राज्य में अभिभावी होगी :

परन्तु इस खण्ड की कोई बात संसद् को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अन्तर्गत ऐसी विधि है जो राज्य के विधान-मण्डल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।"

12. 1953 का पंजाब ऐक्ट राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया था और 26 दिसम्बर, 1953 को उसकी अनुमति प्राप्त हुई। प्रथमदृष्टया, राष्ट्रपति की अनुमति के कारण पंजाब अधिनियम संसद् के अधिनियम पर पंजाब राज्य में अभिभावी होगा और पंचायतें शामलातदेह भूमियों के बारे में मामले को शासित करने वाले सुसंगत नियमों या उपविधियों के अनुसार कार्रवाई करने में स्वतन्त्र होंगी जिसमें उनमें निष्क्रांती हित सम्मिलित होगा। किन्तु इस तथ्य की बारीकी से उद्‌भूत कुछ जटिलता है कि पंजाब अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित था यद्यपि वह संविधान के अनुच्छेद 31 और 31-क के विनिर्दिष्ट और सीमित प्रयोजन के लिए था। अनुच्छेद 31, जिसका संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा लोप किया गया था, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करता है। उस अनुच्छेद के खण्ड (3) में यह उपबंध किया गया है कि खण्ड (2) में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई कोई विधि उस समय तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ऐसी विधि जो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती है। अनुच्छेद 31-क उस अनुच्छेद के खण्ड (क) से (ङ) के अन्तर्गत आने वाली विधियों को संरक्षण प्रदत्त करता है बशर्ते कि ऐसी विधि यदि राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनाई जाती है, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेती है। अनुच्छेद 31-क के खण्ड (क) में कृषि सुधार की विधियां सम्मिलित हैं। चूंकि 1953 का पंजाब अधिनियम शामलातदेह भूमियों में सभी प्राइवेट हितों को निर्वापित करता है और उन भूमियों को ग्राम पंचायतों में निहित करता है और चूंकि वह अधिनियम कृषि सुधार के उपाय के रूप में था, इसलिए इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय से यह दर्शित होता है कि रिट पिटीशनों की सुनवाई राज्य सरकार को उस प्रयोजन को दर्शाने के लिए, जिसके लिए 1953 का पंजाब ऐक्ट राष्ट्रपति की अनुमति के

लिए अग्रेषित किया गया था, न्यायालय के समक्ष सामग्री रखने में समर्थ बनाने के लिए आस्थगित की गई थी। अभिलेख से यह दर्शित होता है और न तो हमारे समक्ष और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष इस बारे में कोई विवाद किया गया था कि इस आधार पर अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित नहीं रखा गया था कि यह संसद् द्वारा पारित पूर्ववर्ती अधिनियम, अर्थात् 1950 का केन्द्रीय अधिनियम के विरोध में था। इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय से इस बारे में सहमत हैं कि 1953 का पंजाब ऐक्ट संविधान के अनुच्छेद 254 के खण्ड (2) के अर्थान्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखे गए रूप में नहीं कहा जा सकता जहां तक इसके 1950 के केन्द्रीय अधिनियम के साथ विरोध का संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति एक कोरी औपचारिकता नहीं है। राष्ट्रपति को कम से कम इस बारे में अवगत कराया जाए कि उसकी अनुमति क्यों ईप्सित की गई है, यदि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण है। यदि अनुमति सामान्य निबंधनों के रूप में ईप्सित की जाती है और दी जाती है, तो क्या वह सभी प्रयोजनों के लिए प्रभावकारी होगी, इसके लिए भिन्न विधिसम्मत विचार उद्भूत हो सकते हैं। किन्तु, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है, यदि राष्ट्रपति की अनुमति एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विधि हेतु ईप्सित की जाती है, तो अनुमति की यथार्थता उस प्रयोजन के लिए ही सीमित होगी और उससे परे इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत मामले में न केवल इस बारे में राष्ट्रपति को अवगत नहीं कराया गया था कि उनकी अनुमति राज्य अधिनियम और पूर्व विद्यमान केन्द्रीय अधिनियम में निष्क्रांत संपत्तियों के निहित होने के बारे में दोनों में विरोध था किन्तु उनकी अनुमति एक बिल्कुल ही भिन्न विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ईप्सित की गई थी। अतः वह अनुमति राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि को अधिमान प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं हो सकती, अर्थात् 1953 का पंजाब अधिनियम संसद् द्वारा बनाई गई विधि पर लागू नहीं हो सकता भले ही राज्य की अधिकारिता के अधीन हो।

13. यह स्थिति समस्या उत्पन्न करती है। 1950 का केन्द्रीय अधिनियम समवर्ती सूची की प्रविष्टि सं० 41 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 254(1) के द्वारा 1953 के पंजाब ऐक्ट पर अभिभावी होता है और अनुच्छेद 254(2) उस स्थिति को उलटने के लिए कोई सहायता नहीं कर सकता चूंकि राष्ट्रपति की अनुमति, जो कि एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त की गई थी, का पंजाब अधिनियम को प्राथमिकता प्रदान करने के

लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। यद्यपि संसद् द्वारा बनाई गई विधि राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि पर अभिभावी है, इसलिए शामलातदेह भूमियों में निष्क्रान्तियों का हित केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अभिरक्षक द्वारा प्रभावकारी रूप से नहीं निपटाया जा सकता क्योंकि ऐसी भूमियों की विशिष्ट घटनाएं और विशेषताएं हैं। इसका यह दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है कि शामलातदेह भूमियों में निष्क्रान्ती हित का अभिरक्षक में निहित होना, न्यूनाधिक एक कोरी औपचारिकता है। यह केन्द्रीय विधि के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अभिरक्षक की कोई सहायता नहीं करता किन्तु यह राज्य विधि के प्रवर्तन का अपवर्जन करता है।

14. हमारे विद्वान् बंधु चिन्नप्पा रेड्डी का तर्काधार इस सांविधानिक अवरोध का संतोषप्रद रूप से हल करता है जिसे हम किसी प्रकार के बिना किसी विचार के अपनाते हैं। 1953 के पंजाब ऐक्ट का तत्व और सार वह भूमि है जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत आती है। वह प्रविष्टि इस प्रकार है—

> "**प्रविष्टि सं० 18**—भूमि, अर्थात् भूमि में या उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अन्तर्गत भूस्वामी और अभिधारियों का संबंध है और भाटक का संग्रहण; कृषि भूमि का अन्तरण और अन्यसंक्रामण; भूमि विकास और कृषि उधार; उपनिवेशन।"

हमारे विद्वान् बंधु ने **रंजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की सांविधानिक न्यायपीठ के एक विनिश्चय से एक पैरा उद्धृत किया जिसने यह मत अपनाया था कि चूंकि 1953 का पंजाब ऐक्ट एक कृषि सुधार के उपाय के रूप में है, इसलिए इसे अनुच्छेद 31-क का संरक्षण प्राप्त होगा। यह स्मरणीय है कि अधिनियम को उस अनुच्छेद के प्रथम परन्तुक द्वारा यथापेक्षित राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। राज्य सूची में वर्णित मामलों पर विधि पारित करने के लिए राज्य विधानमण्डल की शक्ति अनन्य रूप से अनुच्छेद 246(3) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के कारण है। सारतः स्थिति यह है कि संसद् ने ऐसे मामले पर विधि पारित की है जो कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि सं० 41 के अन्तर्गत आता है, जबकि राज्य विधानमण्डल ने ऐसी विधि पारित की है जो राज्य सूची की प्रविष्टि सं० 18 के अन्तर्गत आती है। राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधि कृषि सुधार के रूप में होने के कारण समुदाय के कल्याण के लिए है और इस बारे में कोई

---

[1] [1965] 1 एस० सी० आर० 82.

1985(7) eILR(PAT) SC 1

कारण नहीं है कि विधि को पूर्णतः प्रभावी होना चाहिए। इस प्रक्रिया द्वारा ग्राम पंचायतें ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी और उससे उनका कल्याण होगा। तद्नुसार 1953 का पंजाब ऐक्ट, 1950 के केन्द्रीय अधिनियम पर पंजाब राज्य में अभिभावी होगा, जहां तक शामलातदेह भूमि का भी संबंध है।

15. परिणामतः, उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है और यह अपील मंजूर की जाती है। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

16. 1974 की सिविल अपील सं० 2044 और 1975 की सिविल अपील सं० 1963-65, जिनकी सुनवाई इस अपील के साथ की गई थी और जिनमें वही मुद्दे अन्तर्वलित थे, भी मंजूर की जाती हैं और खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

17. 1981 की विशेष इजाजत याचिका सं० 7984 में विशेष इजाजत दी जाती है। अपील मंजूर की जाती है। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

18. 1978 की सिविल अपील सं० 2125, 1969 की 470, 1969 की 1832, 1969 की 1088, 1974 की 1726 और 1974 की 1728 मामले के उपर्युक्त समूह से अलग की गई थीं क्योंकि वे 1961 के समझौते से सम्बद्ध प्रश्नों से युक्त थीं। वे मामले यथाशीघ्र तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाएं।

न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी—

19. मैं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के निष्कर्ष से सहमत हूं और इस प्रतिपादना को पुनः दोहराता हूं कि अनुच्छेद 31-क के अभिव्यक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति द्वारा दी गई अनुमति संविधान के अनुच्छेद 254(2) के प्रयोजन के लिए अनुमति में स्वतः बदले जाने के योग्य नहीं है।

20. मेरे विचार से, वह प्रश्न जिसका वास्तव में अवधारण करना अपेक्षित है, पंजाब ऐक्ट और केन्द्रीय अधिनियम के बीच विरोध का नहीं है, किन्तु दो अधिनियमों से जो कुछ उत्पन्न होता है, उसका है और प्रत्येक अधिनियम अपने समनुदेशित क्षेत्र में प्रवर्तनशील है। 1950 के केन्द्रीय अधिनियम पर 1953 के पंजाब ऐक्ट का क्या प्रभाव है? क्या यह पीटर राबिंग पाल का मामला है।

1985(7) eILR(PAT) SC 1

21. रेटिगन्स 'डाइजेस्ट आफ कस्टमरी ला इन दि पंजाब' में अध्याय X (ग्राम सामान्य भूमि) की प्रस्तावना में यह उल्लेख है कि प्रत्येक गांव की क्षेत्रीय सीमा में बिना खेती वाली बंजर भूमि का कुछ भाग 'सामान्य चारागाह, लोगों के इकट्ठे होने, गांव के पशुओं के चरने के लिए और गांव के आवासों का सम्भव विस्तार करने के प्रयोजन के लिए' आरक्षित रखा जाता है और 'वह भूमि उन व्यक्तियों की मूल निकाय की सामान्य संपत्ति के रूप में आरक्षित और सुरक्षित रहती है जिन्होंने गांव बसाया था या उनके पूर्वजों और कभी-कभी उन लोगों के लिए, जिन्होंने बंजर भूमि को साफ करने में संस्थापकों की मदद की थी और उसको खेती के लिए तैयार किया था और इन आरक्षित भूखण्डों में उनके अंश को मान्यता दी गई है'। इसके अतिरिक्त, इस बात पर ध्यान दिया गया कि "उन गांवों में भी जहां खेती के क्षेत्र के रूप मे पृथक् स्वामित्व अपनाया गया है, ऐसे कुछ भूखण्ड सामान्यत: गांव के सामान्य रूप में आरक्षित रहते हैं और पट्टीदार गांवों में प्रत्येक पट्टी के स्वत्वधारियों के सामान्य प्रयोग के लिए आरक्षित बंजर भूमि के कुछ भाग पाए जाने असामान्य बात नहीं है और अन्य भाग गांव के सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित होते हैं। पूर्ववर्ती को शामलात पट्टे के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है और पश्चात्वर्ती को शामलातदेह के रूप में"। यह कहा गया था "सामान्य नियम के रूप में केवल गांव (मालिकाना-देह) के स्वत्वधारी अपने स्वयं के जोत (मालिकान मकबूजा खुद) के स्वत्वधारियों से भिन्न रूप में शामलातदेह में अंश के हकदार हैं।"

22. जबकि यह अधिकथित किया गया प्रतीत होता है कि गांव की सामान्य भूमि में अंश के लिए अधिकार गांव में कृषि भूमि के स्वामित्व से सम्बद्ध होता है और वह साधारणत: वे व्यक्ति जो उस भूमि को धारित करते हैं जिस पर राजस्व निर्धारित किया जाता है और जो खेवट में सह-अंशधारी होते हैं, उनके द्वारा संदत्त राजस्व के समनुपात में अंश के हकदार होते हैं। (देखिए **मलिक मोहम्मद शेर खां** बनाम **गुलाम मोहम्मद**[1] वाला मामला) पंजाब में यह भी एक सुस्थिर विधि प्रतीत होती है कि शामलात में स्वत्वधारी के अधिकार 'उसके द्वारा धारित भूमि के मात्र अनुषंगी नहीं हैं' और इसलिए 'पश्चात्वर्ती का अन्यसंक्रामण स्वत: निष्क्रान्ती को पूर्ववर्ती में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता है, (देखिए **रहमान** बनाम **सई**[2])। इसके अतिरिक्त रैटिगन्स डाइजेस्ट के अनुसार "रूढ़ि के अभाव में

---

[1] आई० एल० आर० (13) लाहौर 92.

[2] आई० एल० आर० (9) लाहौर 501.

स्वत्वधारियों में से कोई कुछ नहीं कर सकता जो कि सभी सह-अंशधारियों की सम्मति के बिना संयुक्त संपत्ति की स्थिति में परिवर्तन करता है।" (देखिए अनुच्छेद 225) "न ही कोई स्वत्वधारी सामान्य भूमि पर कोई रोपण कर सकता है और न ही वृक्षों को काट सकता है और न ही कुआं खोद सकता है और न ही सामान्य प्रयोजनों के लिए बनाए गए उपयुक्त गृहों में परिवर्तन कर सकता है सिवाय ऐसी सम्मति के" (अनुच्छेद 226)। "न ही रूढ़ि के अभाव में गांव के समुदाय के बहुमत की इच्छा अल्पमत के विरुद्ध अभिभावी हो सकती है जब ऐसी रीति में सामान्य संपत्ति के व्ययन का प्रश्न हो जो कि स्वामियों द्वारा इसके प्रयोग से सभी को निवारित करता हो।"(अनुच्छेद 227) इस प्रकार यह देखा गया है कि शामलातदेह या गांव की सामान्य भूमि में कतिपय अंतर है और उसकी अपनी स्वयं की विशेषताएं हैं और सह-अंशधारियों का बहुमत भी उसके स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकता।

23. ब्रिटिश के अधीन भारत के विभाजन के समय 1947 में स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र पाकिस्तान बनने के समय एक भयानक विध्वंस हुआ था और जनसंख्या की अप्रत्याशित हलचल हुई थी, पश्चिमी पंजाब से करोड़ों हिन्दू और सिक्ख पूर्वी पंजाब में गए और करोड़ों मुसलमान पूर्वी पंजाब से और वर्तमान हरियाणा से पश्चिमी पंजाब में गए। उन लोगों की संपत्ति के प्रशासन की समस्याएं बहु-दिशाओं में हुई जिन्होंने देश छोड़ा था और देश में जिनके आने से पुनर्वास किया गया था।

24. **इंदिरा सोहन लाल** बनाम **कस्टोडियन आफ इवेक्यु प्रापर्टी**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि "पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में व्यापक स्तर पर जनसंख्या के अधिकांश वर्गों के अचानक प्रवास से उत्पन्न प्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए था और उन अधिकांश संपत्तियों को छोड़ते हुए जिन्हें वे रखते थे, भले ही वे स्थावर और जंगम हों, कृषि और अकृष्य, सम्बद्ध सरकारों को स्थिति से निपटने के लिए व्यापक विधायी शक्ति अपनानी है और आवश्यक प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करनी है और समय-समय पर उनके संबंध में उनकी नीतियों का विकास करना है और उन्हें प्रभावी बनाना है। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि "जहां तक हमारा संबंध है, इन विधायी उपायों के प्रारंभ में ईस्ट पंजाब इवेक्युइज (एडमिनिस्ट्रेशन आफ प्रापर्टी) ऐक्ट, 1947 (1947 का ईस्ट पंजाब ऐक्ट 14) था, जो 12 दिसम्बर, 1947 को प्रवृत्त हुआ था। इस अधिनियम का ईस्ट पंजाब इवेक्युइज (एडमिनिस्ट्रेशन आफ प्रापर्टी) (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 1948 (1948 का ईस्ट पंजाब आर्डिनेंस सं० 11)

[1] [1955] 2 एस० सी० आर० 1117.

1985(7) eILR(PAT) SC

और बाद में ईस्ट पंजाब इवेक्युइज (एडमिनिस्ट्रेशन आफ प्रापर्टी) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1948 (1948 का ईस्ट पंजाब ऐक्ट 26) द्वारा संशोधन किया गया था। उस विस्थापित कृषि जनसंख्या को स्थापित करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपाय, जो पश्चिमी पंजाब से आए थे, और जल्दी में अपनी भूमि छोड़ गए थे, पूर्वी पंजाब से निष्क्रांती श्री त्रिलोक सिंह द्वारा लैंड रिसैटलमेंट मैनुअल में वर्णित किया गया है जो उस समय अनुतोष और पुनर्वास का महानिदेशक था। बाद में यह महसूस किया गया था कि अनेक प्रांतीय विधानमण्डलों द्वारा अधिनियमित अनेक प्रांतीय अधिनियम एक केन्द्रीय विधि और केन्द्रीय प्रशासन द्वारा बदले जाने चाहिएं। इसलिए पहला केन्द्रीय अध्यादेश (1949 का 27) था और उसके पश्चात् निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 था जो 17 अप्रैल, 1950 को प्रवृत्त हुआ था। अधिनियम में एक केन्द्रीकृत विधि और केन्द्रीकृत प्रशासन का उपबन्ध किया गया है और महा-अभिरक्षक के कार्यालय का सृजन किया गया था।

25. निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 8(2) के अधीन ऐसी सभी संपत्ति जो कि निरसित राज्य अधिनियमों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अभिरक्षकों में निहित हो गई थी, केन्द्रीय अधिनियम के अधीन इस रूप में घोषित निष्क्रांत संपत्ति के रूप में समझी गई थी और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन नियुक्त अभिरक्षक में निहित हो गई थी। धारा 8(2), जो कि लाभदायक है, निम्नलिखित रूप में उद्धृत की जा सकती है—

> "जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व किसी राज्य की कोई संपत्ति, किसी ऐसे व्यक्ति में, जो इसके द्वारा निरसित किसी ऐसी विधि के अधीन, अभिरक्षक की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित हो गई है वहां इस अधिनियम के प्रारम्भ पर ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अर्थ में निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित समझी जाएगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन राज्य के लिए नियुक्त अभिरक्षक में या नियुक्त समझे गए अभिरक्षक में निहित समझी जाएगी और इस प्रकार निहित बनी रहेगी।"

निष्क्रांत संपत्ति से संबद्ध प्रांतीय और केन्द्रीय अधिनियमों के प्रवर्तन का प्रभाव यह था कि निष्क्रांत संपत्ति अभिरक्षक में निहित हो गई थी किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि अभिरक्षक में जो संपत्ति निहित हुई थी, वह निष्क्रांती द्वारा छोड़ी गई संपत्ति थी और इससे अधिक और न इससे कम। यदि निष्क्रांती ने

अपनी खेवट भूमि छोड़ी थी, तो यह अभिरक्षक में निहित हो गई थी। यदि निष्क्रांती ने शामलातदेह भूमियों में अपने अंश का अधिकार छोड़ा था, तो वह भी अभिरक्षक में निहित हो गया था। किन्तु निहित होना शामलातदेह भूमियों को शामलातदेह भूमियों के रूप में उनके स्वरूप से निर्निहित नहीं करता था और उनको खेवट भूमि में संपरिवर्तित नहीं करता था। शामलातदेह भूमियां बनी रह सकती थीं और शामलातदेह के रूप में उस समय भी बनी रही थी जबकि वे अभिरक्षक में निहित हो गई थीं और अभिरक्षक उसी रीति में जिसमें मुसलमान स्वत्वधारी, यदि वे पाकिस्तान में प्रवासी न हुए होते, निपटान कर सकते थे, शामलातदेह भूमियों के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के अधिनियमित होने के पश्चात् यह स्थिति थी।

26. उसी प्रक्रम पर पंजाब विलेज कामन लैण्ड रेगुलेशन ऐक्ट, 1953 आया जिसे इस न्यायालय द्वारा कृषि सुधार के विधान के रूप में अभिनिर्धारित किया गया। इसका निष्क्रांत संपत्ति के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था और उसमें ऐसी कोई बात तात्पर्यित नहीं थी। सभी शामलातदेह भूमियां, भले ही वे केवल गैर-निष्क्रांतियों के ग्रामों की स्वत्वधारी निकाय से संबद्ध हों या ग्रामों के स्वत्वधारी निकायों से संबद्ध हों, उनमें से कुछ का हित अनेक निष्क्रांत संपत्ति विधियों के अधीन अभिरक्षक में निहित हो गया था और बिना किसी अन्तर के पंजाब अधिनियम द्वारा निपटाया गया था। तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए सभी शामलातदेह भूमियां ग्राम पंचायत में निहित हो गई थीं। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, पंजाब अधिनियम ऐसी विधि थी जो कृषि सुधार के रूप में की गई थी और इसमें न तो ऐसा कोई तात्पर्यित था और न ही निष्क्रांत संपत्ति के प्रशासन को नियमित करने से संबद्ध कोई विधि ही तात्पर्यित थी।

27. **रंजीत सिंह बनाम पंजाब सिंह**[1] वाले मामले में यही प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि स्वत्वधारियों से शामलातदेह भूमियों को लिए जाने के लिए उपबंध करने वाली विधि और ग्राम पंचायत को अस्वत्वधारियों को आबंटित करने के लिए विधि कृषि सुधार से संबद्ध विधि थी और क्या ऐसी विधि अनुच्छेद 31-क द्वारा संरक्षित थी। यह स्मरणीय है कि जो संविधान न्यायपीठ ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देने में कहा था उन्होंने ग्राम विकास और कृषि सुधार के विस्तार को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया था—

"उच्च न्यायालय अपने इस मत में बिल्कुल ठीक था कि शामलातदेह और आबादी-देह में प्रस्तावित परिवर्तन ग्राम क्षेत्रों की योजनाओं की

[1] [1965] 1 एस० सी० आर० 82.

सामान्य स्कीम में सम्मिलित थे और खाली और बंजर भूमियों के उत्पादक के उपयोग में सम्मिलित थे। आजकल ग्रामीण विकास की स्कीम में न केवल भूमि के समान वितरण को दर्शाया गया है ताकि समाज में अनुचित असंतुलन न हो और जिसका परिणाम एक ओर भूमिहीन वर्ग और दूसरी ओर कुछ थोड़े से लोगों में भूमि का एकीकरण हो, किन्तु उसमें आर्थिक स्तर और अच्छे ग्रामीण स्वास्थ्य और सामाजिक स्थितियों को भी उठाने का उल्लेख है। सामान्य समुदाय के प्रयोग के लिए ग्रामीण पंचायतों की भूमियों के समनुदेशन हेतु या अस्पतालों, विद्यालयों, खत्तों, चमड़े के कमाई के समूहों आदि के लिए ग्रामीण जनसंख्या के लाभ के लिए उपबंध जोत और खुली भूमियों पर पुन: वितरण के आवश्यक भाग के रूप में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रत्यक्षत: कोई आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यदि कृषि सुधार किया जाना है, तो भूमिहीन लोगों को भूमि का अधिक वितरण करना ही पर्याप्त नहीं है किन्तु ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थितियों की उचित योजना होनी चाहिए और ग्रामीण पंचायत जैसे एक निकाय ग्रामीण कल्याण के लिए उत्तम है न कि भूमियों के छोटे टुकड़ों को अलग-अलग लोगों को देना। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत भाग-3 के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण है, जैसा कि हमारे समक्ष इस बात को स्वीकार किया गया था और इसे अनुच्छेद 31-क की सुरक्षा प्राप्त है क्योंकि इस स्वरूप के कारण भी यदि शामलातदेह भूमियों को लेना एक प्रकार से अर्जन की कोटि में आता है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय, जैसा कि उसने मामले के इस भाग पर विनिश्चय किया था, बिल्कुल ठीक था।"

"आबादी-देह के बारे मे वही तर्क लागू होना चाहिए। कृषि संबंधी कारीगरों के लिए एक निकाय (जैसे ग्राम बढ़ई, गांव के लौहार, चमड़ा कमाने वाले, पहिया चलाने वाले, नाई, धोबी आदि) हो जो कि ग्रामीण योजना का एक भाग है और कृषि सुधार की स्कीम के अन्तर्गत आ सकता है। यह ठीक ही कहा है कि भारत गांव में बसता है और गांव को आत्म-निर्भर बनने के लिए स्कीम निश्चित रूप से वृहत्त सुधारों के रूप में समझी जा सकती है जैसे चकबंदी, भूमियों पर सीमा नियत करना, अधिशेष भूमियों का वितरण और खाली और बंजर भूमियों का अनुध्यात उपयोग। चार अधिनियम अर्थात् चकबन्दी अधिनियम, ग्राम पंचायत अधिनियम, सामान्य भूमि

> विनियमन अधिनियम और अभिधृति सुरक्षा अधिनियम सुधार की सामान्य स्कीम का एक भाग हैं और अधिकारों में कोई उपांतरण, जैसा कि विद्यमान रूप में अनुच्छेद 31-क की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। उच्च न्यायालय मामले के इस भाग पर भी अपने निष्कर्ष में ठीक था।"

हमने इस पैरे का उद्धरण "कृषि सुधार" "विपणन" आदि जैसी अभिव्यक्तियों से संबद्ध अर्थ पर जोर देने के लिए किया है जिसके लिए अनेक विधान बनाए गए थे। हमने यह देखा हैं कि कुछ न्यायालयों का दृष्टिकोण इन अभिव्यक्तियों के लिए बिल्कुल ऐसे ही अर्थ देने तक व्यापक विवक्षा के अर्थ को न देकर सीमित करना होता है।

28. इस प्रकार इस न्यायालय की एक सांविधानिक न्यायपीठ की प्राधिकृत यह घोषणा हमारे समक्ष है कि पंजाब ऐक्ट जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा गया था और जिसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, कृषि सुधार से संबद्ध विधि है और इसलिए इस आधार पर अनुच्छेद 31-क के अधीन उसे चुनौती नहीं दी जा सकती कि विधि उस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों में से किसी का अतिलंघन करती है। हमने पहले ही यह उल्लेख किया है कि निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम का प्रभाव शामलातदेह के स्वरूप को शामलातदेह के रूप में नहीं देना था किन्तु ऐसे हित को अभिरक्षक में केवल निहित करना था जिसे शामलातदेह में निष्क्रांती रखता था। वह हित जिसे शामलातदेह में भूतपूर्व निष्क्रांती रखता था, न तो वृहत्त था और न ही संक्षिप्त। भूमि शामलातदेह बनी रही थी और वह शामलातदेह के रूप में राज्य विधान की सक्षमता के अध्यधीन थी। यदि कृषि सुधार के प्रयोजन के लिए राज्य के विधानमण्डल ने विधि अधिनियमित की थी क्योंकि वह ऐसा करने के लिए सक्षम था और जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 31-क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दी गई थी, तो हम इस तर्क के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं कि पंजाब ऐक्ट और केन्द्रीय अधिनियम के बीच कोई विरोध था। इसको स्पष्ट करने के लिए यह सुझाव देना बिल्कुल गलत होगा कि मुसलमान जमींदार (मध्यवर्ती) के पाकिस्तान में प्रवासी होने के कारण गांव की रय्यती भूमि में जमींदारी अभिरक्षक में निहित हो गई थी और इसका स्वरूप बदला गया था और भूमि में रय्यत का अधिकार मात्र इस कारण समाप्त हो गया था क्योंकि जमींदार पाकिस्तान में प्रवासी हो गए थे और जमींदारी अभिरक्षक में निहित हो गई थी। इसी प्रकार से भूतपूर्व जमींदार की भूमि चारागाह के लिए चारागाह के रूप में अपना स्वरूप समाप्त नहीं करती थी और जमींदारों के

पाकिस्तान में प्रवासी होने पर उसका स्वरूप भी नहीं बदला था। जब संसद् और राज्य विधानमण्डल में से प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर विधान बनाते हैं, इस मामले में निष्क्रांत संपत्ति और शामलातदेह, तो हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई कारण नहीं पाते हैं कि दो विधानों में कोई विरोध था। प्रस्तुत मामले में यह प्रश्न नहीं है कि क्या केन्द्रीय और राज्य विधानों के बीच कोई विरोध था किन्तु यह प्रश्न कि क्या राज्य का विधान-मण्डल उस संपत्ति की बाबत, जिसमें वह संपत्ति सम्मिलित है, जो विधि की प्रक्रिया द्वारा केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक में निहित हो गई है, कृषि सुधार संबंधी विधि बना सकता है। हम इस बारे में कोई कारण नहीं पाते हैं कि राज्य विधानमण्डल को कृषि सुधार से संबद्ध विधि बनाने के लिए क्यों असक्षम समझा जाना चाहिए। यदि वास्तव में यह कृषि सुधार से संबद्ध विधि है, जैसा कि यह प्रस्तुत मामले में पाया गया है, तो भी केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक में निहित भूमि को प्रभावित करती है। मामले को इस दृष्टि से देखते हुए मैं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रस्तावित आदेश से सहमति प्रकट करता हूं।

अपीलें मंजूर की गईं।

चन्द